

भारत सरकार  
जल शक्ति मंत्रालय  
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग  
लोक सभा  
तारांकित प्रश्न संख्या \*171  
दिनांक 31 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

.....

नदियों को परस्पर जोड़ना

\*171. डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगे:

श्री संदिपनराव आसाराम भुमरे:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव में जल की कमी को दूर करने और सिंचाई में सुधार लाने के लिए नदियों को परस्पर जोड़ने का कोई प्रस्ताव है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) उक्त राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इसके अंतर्गत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अनुमानित लागत कितनी आने की संभावना है और इसके लिए परियोजना-वार क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है; और
- (घ) उक्त राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उक्त परियोजनाओं से संबंधित पर्यावरणीय और सामाजिक सरोकारों, यदि कोई हों, का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री

(श्री सी आर पाटील)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

‘नदियों को परस्पर जोड़ना’ के संबंध में दिनांक 31.07.2025 को लोक सभा में उत्तर के लिए देय तारांकित प्रश्न सं. \*171 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क)और (ख): भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) तैयार की गई है, जिसके अंतर्गत देश भर में जल की कमी को दूर करने और सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाने के लिए नदियों को आपस में जोड़ने (आईएलआर) की 30 परियोजनाओं को चिन्हित किया गया है। एनपीपी के अंतर्गत आईएलआर परियोजनाओं के कार्यान्वयन का दायित्व राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (एनडब्ल्यूडीए) को सौंपा गया है।

महाराष्ट्र राज्य को लाभान्वित करने वाली, तीन आईएलआर परियोजनाएँ हैं और मध्य प्रदेश राज्य को लाभान्वित करने वाली दो आईएलआर परियोजनाएँ हैं। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को लाभान्वित करने वाली आईएलआर परियोजनाओं का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है। दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्रों को लाभ पहुँचाने वाली और नदियों को आपस में जोड़ने वाली कोई परियोजना नहीं है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, एनडब्ल्यूडीए को महाराष्ट्र राज्य में 20 अंतर्राज्यीय आईएलआर परियोजनाओं के अध्ययन हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। एनडब्ल्यूडीए द्वारा पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत कर दी गई है। इसके अलावा, तीन अंतर्राज्यीय लिंक प्रस्तावों अर्थात् वैनगंगा (गोशीखुर्द) - नलगंगा (पूर्णा तापी), दमनगंगा (एकदारे) - गोदावरी घाटी और दमनगंगा-वैतरणा-गोदावरी लिंक परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) एनडब्ल्यूडीए द्वारा तैयार कर महाराष्ट्र सरकार को प्रस्तुत कर दी गई हैं।

(ग): केन बेतवा लिंक परियोजना (केबीएलपी), एनपीपी की एकमात्र परियोजना है जो कार्यान्वयन में है और इसकी अनुमानित लागत 44,605 करोड़ रुपये है। इस परियोजना को 8 वर्षों की अवधि में मार्च 2030 तक पूरा करने की योजना है।

(घ): आईएलआर परियोजनाओं की पर्यावरणीय और सामाजिक समस्याओं का समाधान करने के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) किया जाता है। केन-बेतवा लिंक परियोजना के मामले में, आवास की गुणवत्ता में सुधार, निकटवर्ती संरक्षित क्षेत्रों (पीए) को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण वन्यजीव कॉरिडोर को बनाए रखने, बाघों, गिद्धों और घड़ियालों सहित प्रमुख प्रजातियों के समग्र संरक्षण और प्रबंधन को सक्षम बनाने के साथ-साथ पन्ना टाइगर रिजर्व (पीटीआर) और इसके आसपास के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक एकीकृत लैंडस्केप प्रबंधन योजना (आईएलएमपी) तैयार की गई है। आईएलएमपी के व्यवस्थित और समयबद्ध कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में एक ग्रेटर पन्ना लैंडस्केप काउंसिल (जीपीएलसी) का गठन किया गया है।

\*\*\*\*\*

“नदियों को परस्पर जोड़ना” के संबंध में दिनांक 31.07.2025 को लोक सभा में उत्तर के लिए देय तारांकित प्रश्न सं. \*171 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को लाभ पहुंचाने वाली आईएलआर परियोजनाओं की स्थिति और लाभ

क्रम संख्या	नाम	लाभान्वित राज्य	वार्षिक सिंचाई (लाख हेक्टेयर)	घरेलू एवं औद्योगिक (एमसीएम)	स्थिति
महाराष्ट्र					
1	दमनगंगा - पिंजल लिंक	महाराष्ट्र (केवल मुंबई को जलापूर्ति)	--	895	डीपीआर पूर्ण है।
2	पार-तापी-नर्मदा लिंक	गुजरात	2.28	76	डीपीआर पूर्ण है।
		महाराष्ट्र	0.04	--	
3	गोदावरी (पोलावरम) - कृष्णा (विजयवाड़ा) लिंक	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना	1.94	33.41	एफआर पूर्ण है।
मध्य प्रदेश					
1	संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक (ईआरसीपी के साथ विधिवत एकीकृत)	मध्य प्रदेश (एमपी) और राजस्थान	3.38 (मसौदा पीएफआर के अनुसार) एमपी - 2.58 राजस्थान- 0.8	मसौदा पीएफआर के अनुसार: राजस्थान - घरेलू -1723 एमसीएम औद्योगिक-286 एमसीएम एमपी-घरेलू -36 एमसीएम	मसौदा पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर) पूर्ण है।
2	केन-बेतवा लिंक	उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश	10.62 (2.51 +8.11)	194	डीपीआर पूरी है और कार्यान्वयन शुरू हो गया है।